अतिमहत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः C-437/दि0ज0स0वि0/**मा0मं0आ0गृ0–प्रस्ताव**/2023–24, दिनांक– 09 मई, 2023

विषय :–उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजनान्तर्गत संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–53/2022/203/65–2–2022–67(विविध)/2014टी0सी।।, दिनांक–03 जून, 2022 के द्वारा उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन तथा मानसिक चिकित्सालय/आश्रय गृह से उपचारित एवं ठीक हुए बेघर व्यक्तियों के लिए हॉफ वे होम/लॉग स्टे होम के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाने हेतु संशोधित दिशा–निर्देश के दिशा–निर्देश को निर्गत किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रस्ताव जनपद स्तर पर प्रस्तुत होने से निदेशालय स्तर तक प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया को सुगम्य बनायें जाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा नवीन पोर्टल–http://updivyangshaktingo.in विकसित कराया गया है।

ज्ञातव्य है कि उक्त पोर्टल से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण एवं नवीनकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में क्रियाशील है जिसकी कार्यवाही हेतु जनपद स्तर से की जा रही है। यदि जनपद स्तर पर किसी अधिकारी/कर्मचारी की आई0डी0 पासवर्ड नहीं बना है तो वह पोर्टल पर लॉगइन आई0डी0 पासवर्ड जनरेट करने के उपरान्त एक्टीवेंशन हेतु आवेदन निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। पोर्टल के संचालन हेतु यूजर मैनुअल की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 से उक्त योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते हुए प्रस्ताव के साथ वॉछित समस्त प्रपत्र सहित 03 प्रतियो में संबंधित प्रस्ताव जनपदीय कार्यालय को प्राप्त कराया जायेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित जनपद द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए प्रस्ताव को जिलाधिकारी की स्पष्ट संतुति सहित निदेशालय को ऑफलाइन प्रेषित करने के साथ ही प्रस्ताव उक्त पोर्टल पर ऑन लाईन निदेशालय को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित/फारवर्ड किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र तथा मानसिक चिकित्सालय/आश्रय गृह से उपचारित एवं ठीक हुए बेघर व्यक्तियों के लिए हॉफ वे होम/लॉग स्टे होम के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषण से सम्बन्धित उक्त निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित् करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

09/05/2023
(सत्य प्रकाश पटेल)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक–उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।

(सत्य प्रकाश पटेल)
निदेशक।

USER MANUAL
(FOR NGO)

1. **Firstly visit the site that is : https://updivyangshaktingo.in/**
2. **On the home page click on NGO Login.**

3. **The Login screen will appear, if you are the new user then kindly create a new account by clicking on "Naya account Banaye".**

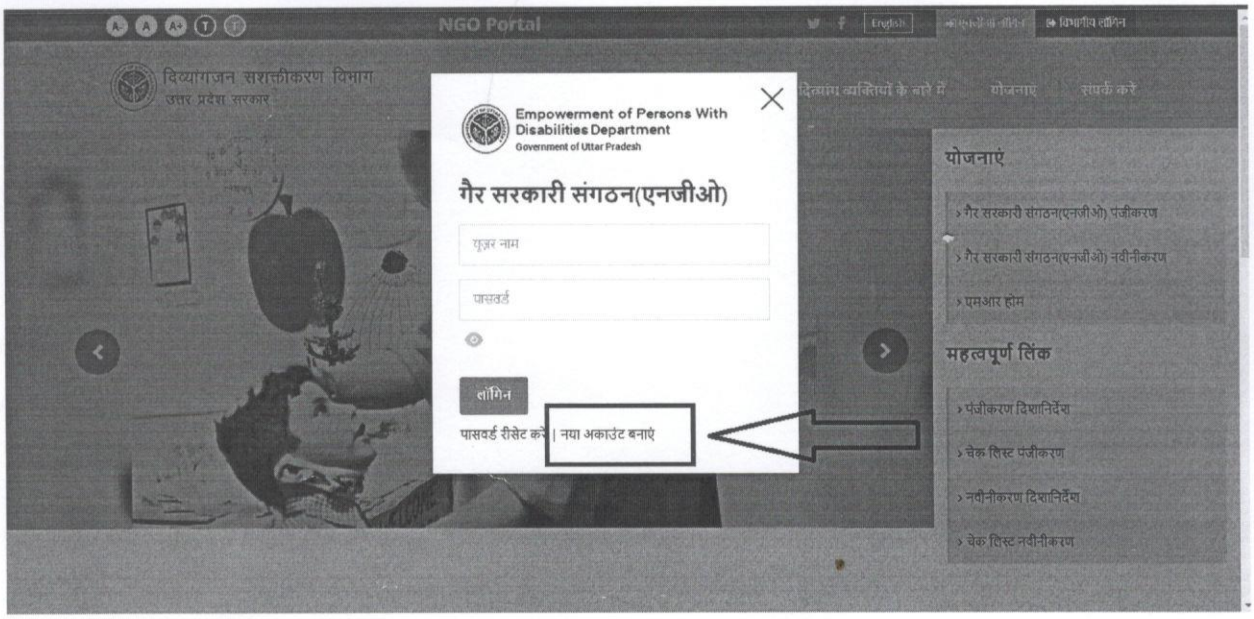

4. **The new account creation form will appear, kindly fill the form and click on the submit button.**

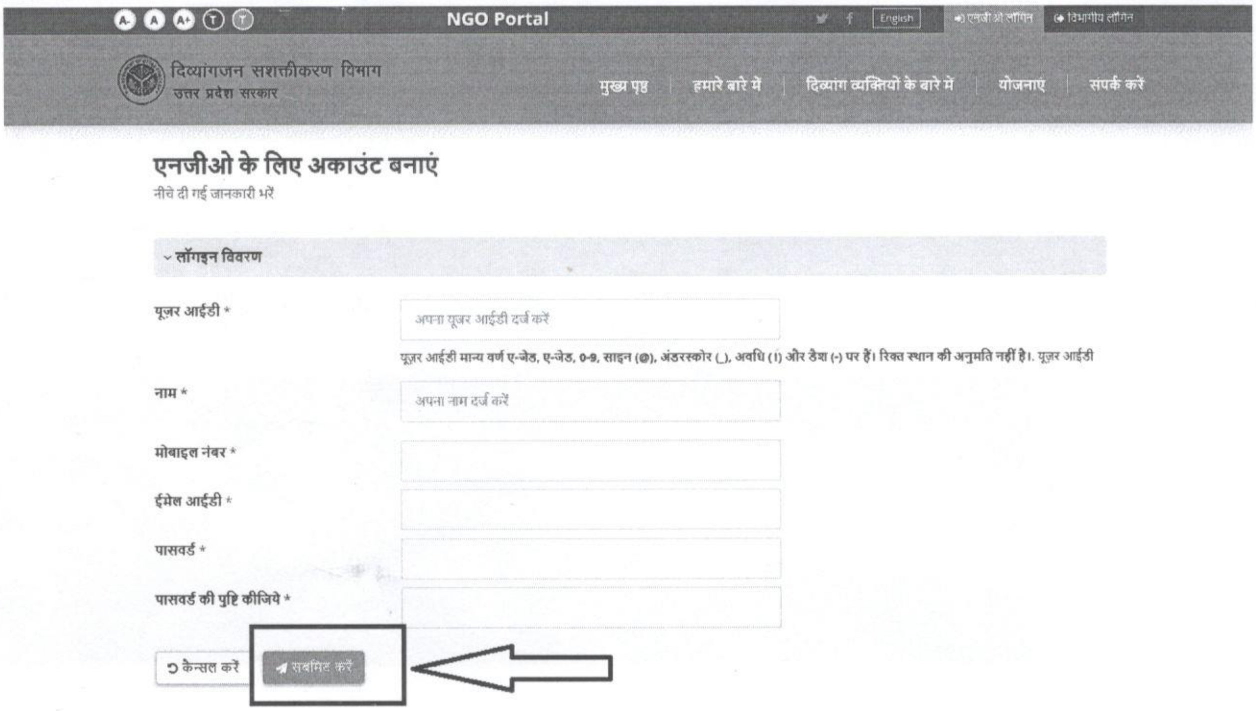

5. **After submitting the form the activation link will send to your entered email address.**

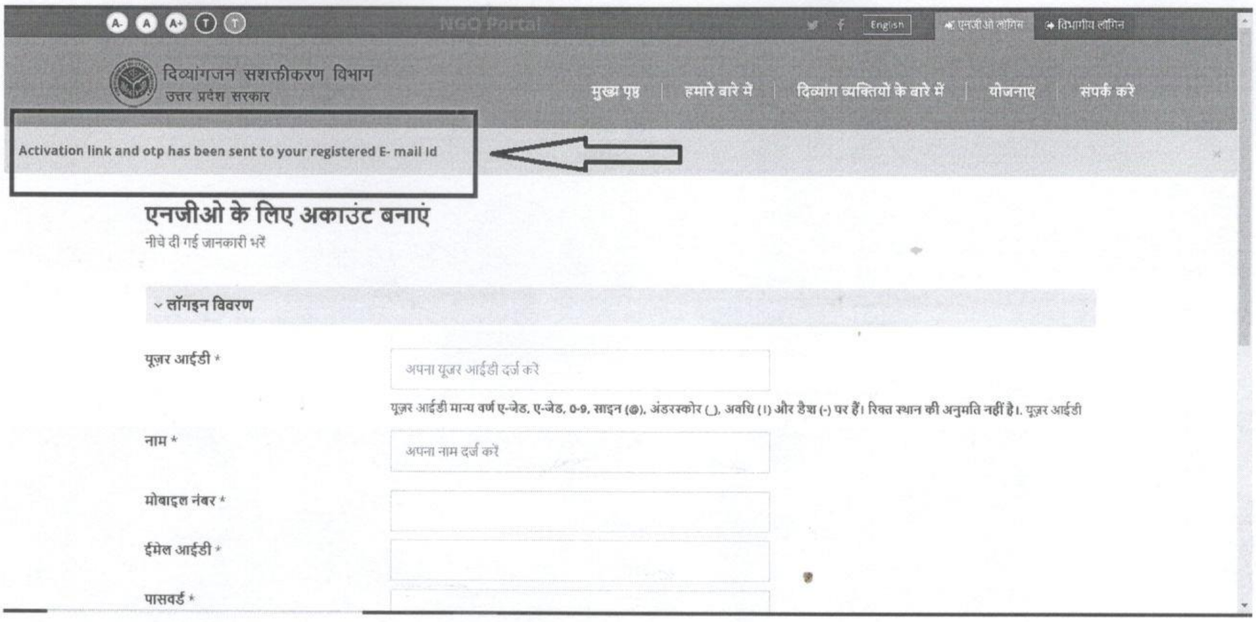

6. **Open your mail, and click on the verify otp button in the mail that is sent to you by this site. After clicking on the "verify otp" button the new screen will appear as follows. Enter the otp and click on the "verify otp" button.**

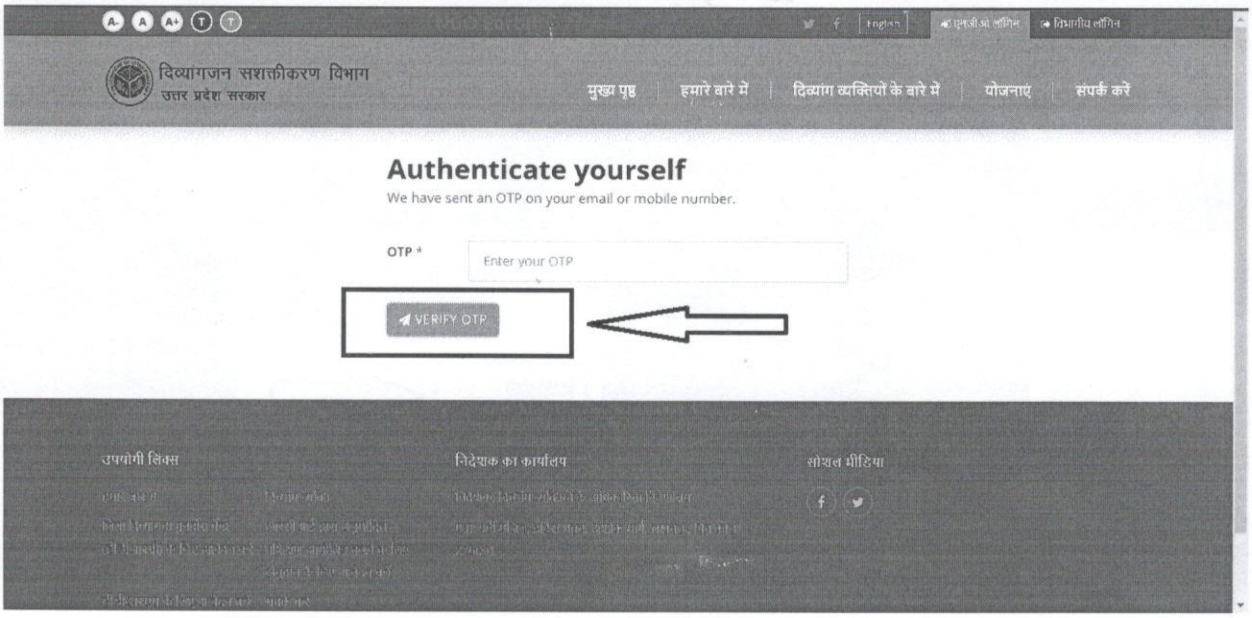

7. **After this a new screen will appear, where it is written otp is verified successfully. Now click on the "Login as NGO" button.**

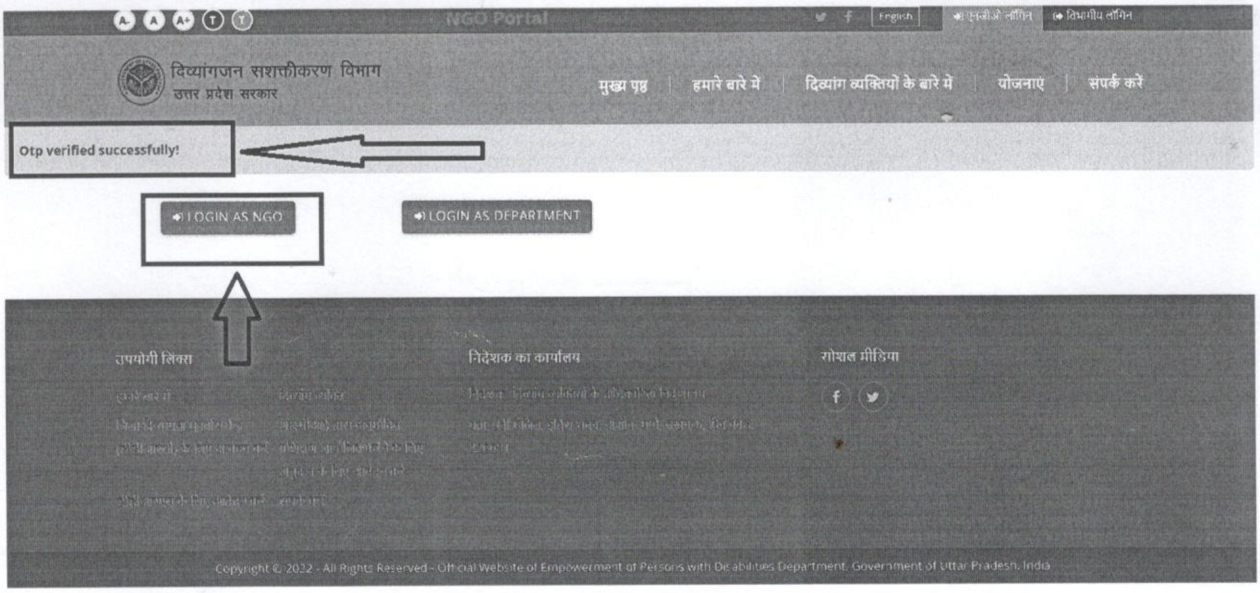

8. **Fill your registered email and password, and click on the login button.**

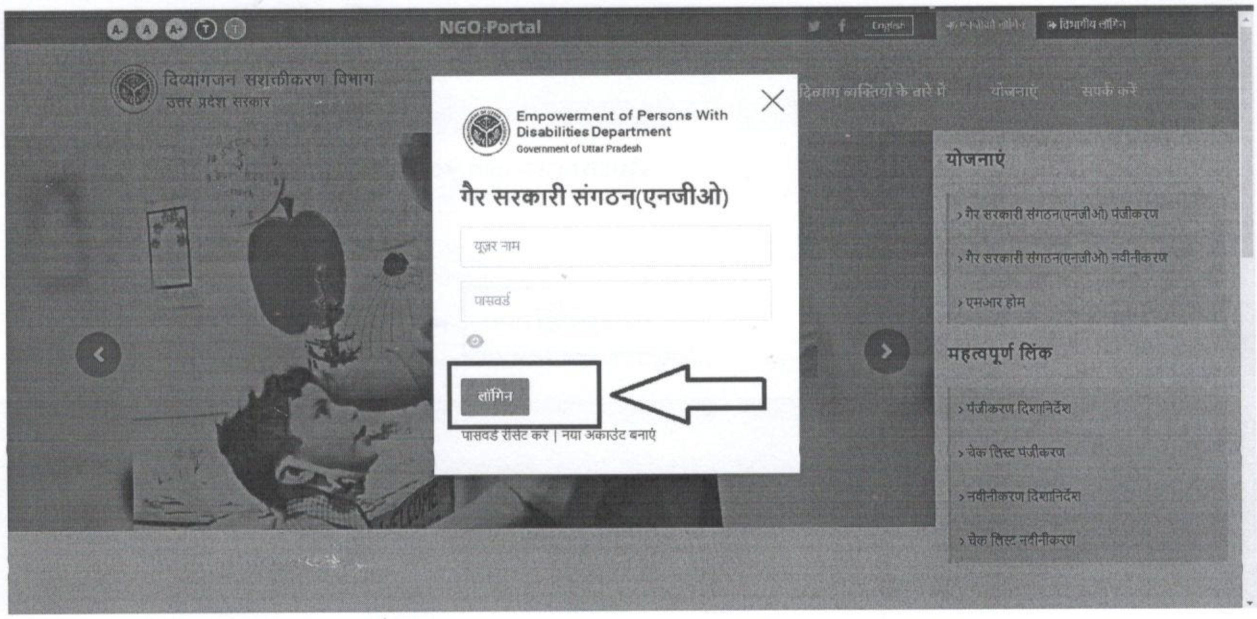

9. **After successful login, the below screen will appear where you will be able to see your dashboard. As you are a new user and no data will appear on your dashboard.**

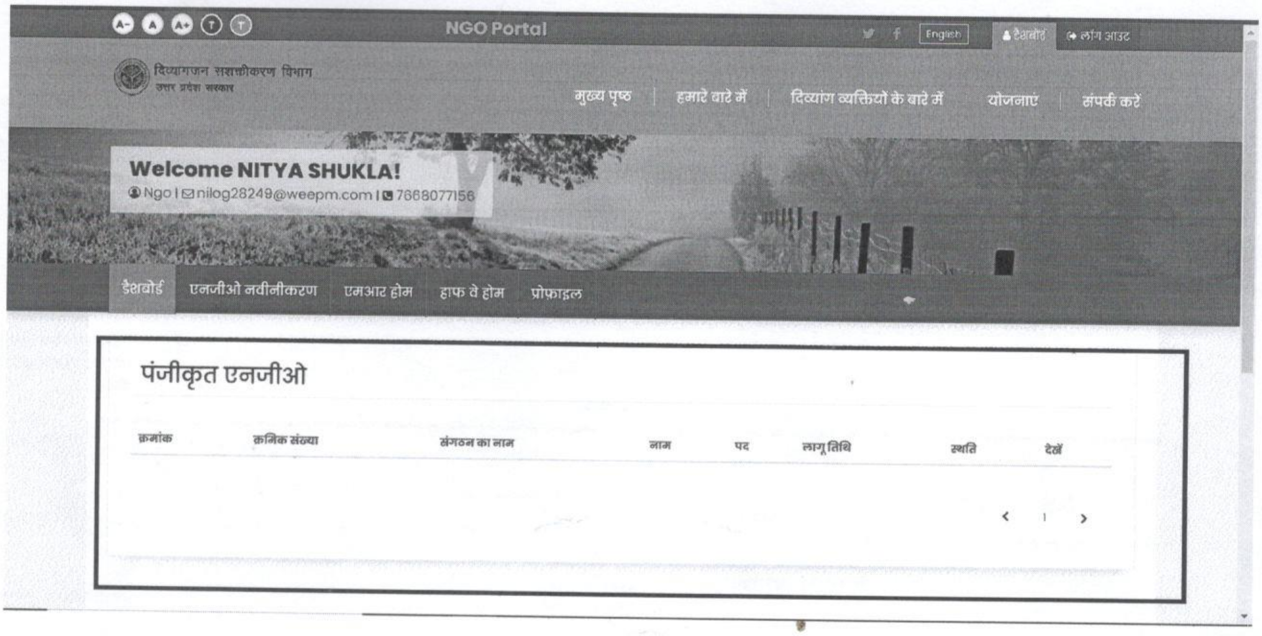

10. **Now go to the "Yojanaye" option, and click on "Gair Sarkari Sangathan (NGO) Panjikaran".**

11. **After clicking the NGO Registration form will appear. Fill the form with correct details and click on the "Submit" button.**

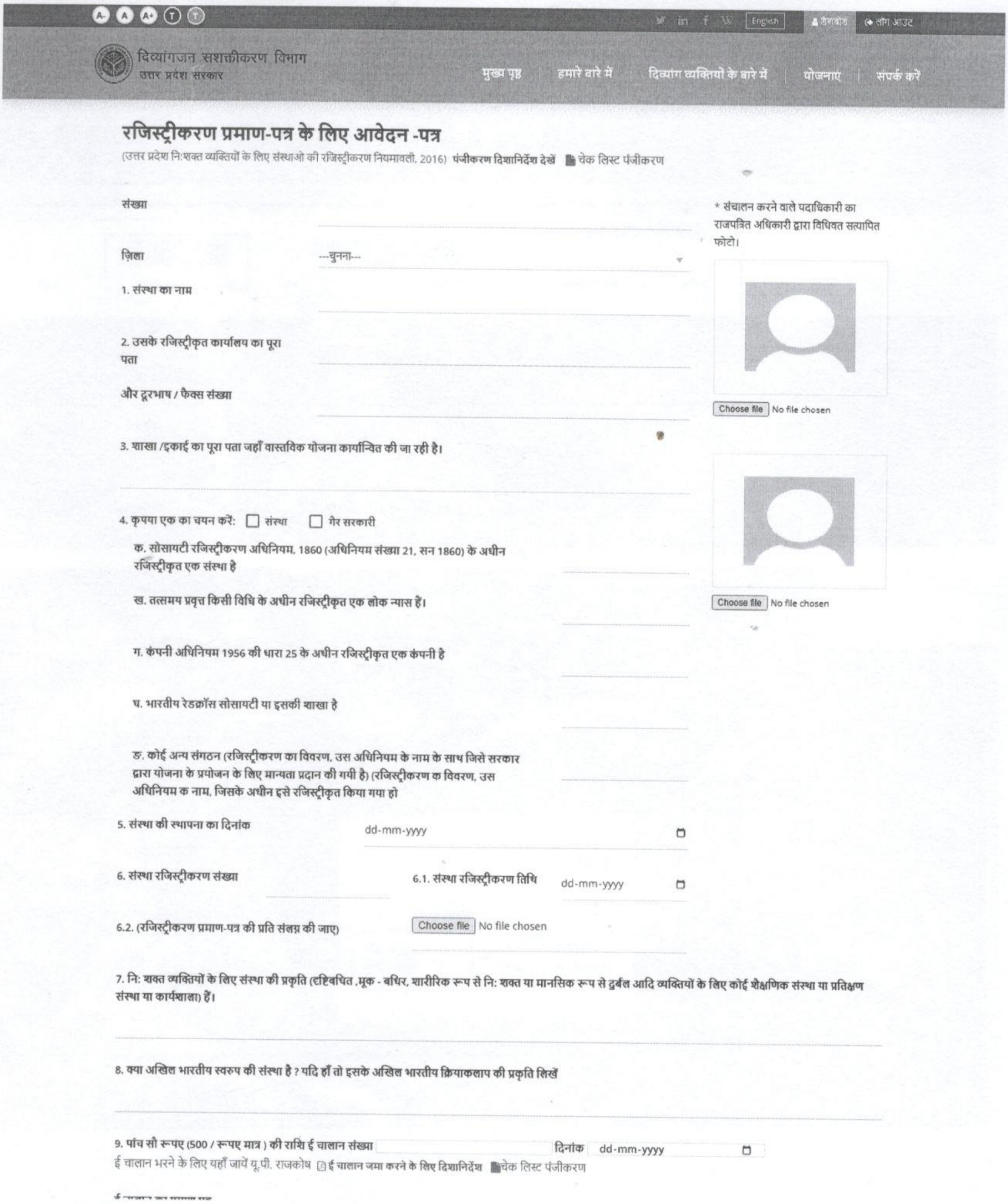
A- A A+ T T
English
डैशबोर्ड
लॉग आउट
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
मुख्य पृष्ठ | हमारे बारे में | दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में | योजनाएं | संपर्क करें

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन -पत्र

(उत्तर प्रदेश नि:शक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओ की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2016) पंजीकरण दिशानिर्देश देखें चेक लिस्ट पंजीकरण

संख्या

ज़िला ---चुनना---

1. संस्था का नाम

2. उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता

और दूरभाष / फैक्स संख्या

3. शाखा /इकाई का पूरा पता जहाँ वास्तविक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

4. कृपया एक का चयन करें: ☐ संस्था ☐ गैर सरकारी

क. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21, सन 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक संस्था है

ख. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक लोक न्यास हैं।

ग. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है

घ. भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी या इसकी शाखा है

ङ. कोई अन्य संगठन (रजिस्ट्रीकरण का विवरण, उस अधिनियम के नाम के साथ जिसे सरकार द्वारा योजना के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की गयी है) (रजिस्ट्रीकरण क विवरण, उस अधिनियम क नाम, जिसके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया हो

5. संस्था की स्थापना का दिनांक dd-mm-yyyy

6. संस्था रजिस्ट्रीकरण संख्या 6.1. संस्था रजिस्ट्रीकरण तिथि dd-mm-yyyy

6.2. (रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए) Choose file No file chosen

7. नि: शक्त व्यक्तियों के लिए संस्था की प्रकृति (दृष्टिबधित ,मूक - बधिर, शारीरिक रूप से नि: शक्त या मानसिक रूप से दुर्बल आदि व्यक्तियों के लिए कोई शैक्षणिक संस्था या प्रतिक्षण संस्था या कार्यशाला) हैं।

8. क्या अखिल भारतीय स्वरुप की संस्था है ? यदि हाँ तो इसके अखिल भारतीय क्रियाकलाप की प्रकृति लिखें

9. पांच सौ रूपए (500 / रूपए मात्र) की राशि ई चालान संख्या दिनांक dd-mm-yyyy

ई चालान भरने के लिए यहाँ जायें यू.पी. राजकोष ई चालान जमा करने के लिए दिशानिर्देश चेक लिस्ट पंजीकरण

* संचालन करने वाले पदाधिकारी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित फोटो।

Choose file No file chosen

Choose file No file chosen

12. **After submitting the form, the status of the application will appear on your dashboard. Once it gets approved you will be able to download the certificate of registration.**

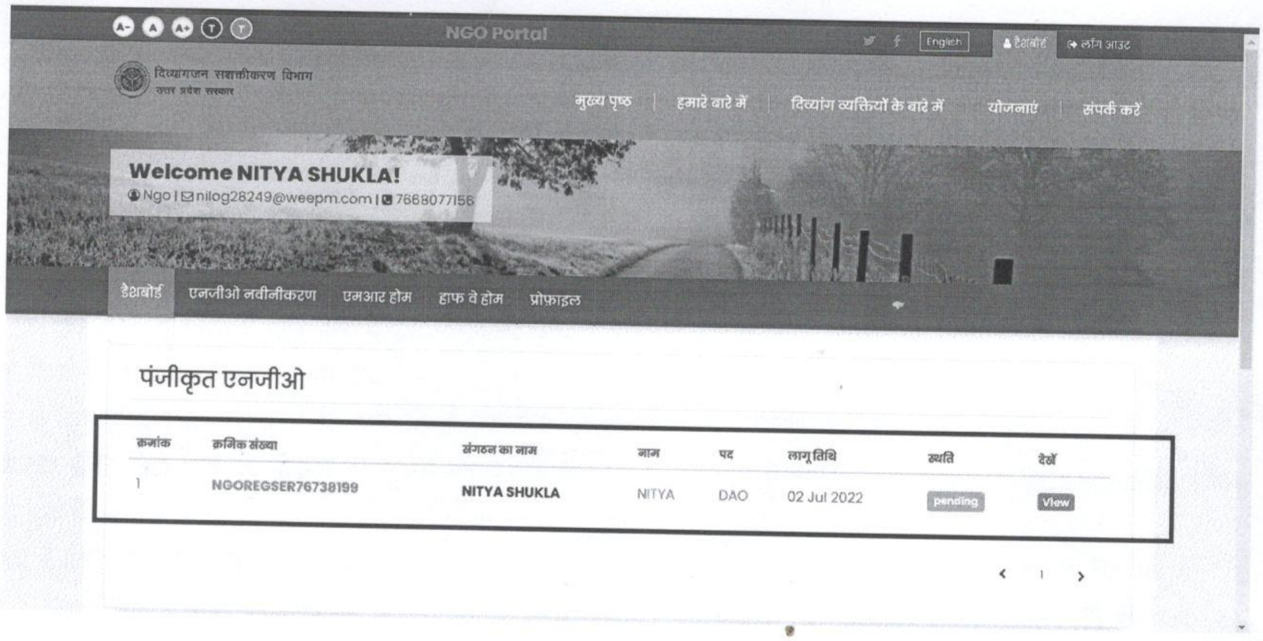

NOTE: Same process is for renewal (Gair Sarkari Sangathan (NGO) Navinikaran) and MR Home Schemes.